

प्रदूषण की जाँच के लिये ज़िलों में समन्वय पैनल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने **प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण उपायों** के लिये विभिन्न विभागों के अधिकारियों को शामिल करते हुए **समन्वय समितियों के गठन का आह्वान** किया।

मुख्य बंदि:

- मुख्य सचिव ने रोहतक, पानीपत और करनाल ज़िलों में नालों में सीवेज जल छोडने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का भी आदेश दिया।
- सरकार ने पानीपत ज़िले के 80 गाँवों में उत्पन्न होने वाले 32.7 प्रतिदिन मिलियन लीटर (MLD) **सीवेज के उपचार और डायवर्ज़न** के लिये एक कार्य योजना तैयार की थी।
- इस पहल के हिससे के रूप में, 38 गाँवों में त्रि-स्तरीय तालाब प्रणाली का उपयोग करके **सीवेज उपचार** को सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जबकि 42 अन्य गाँवों में शुद्धिकरण प्रक्रियाएँ वर्तमान में चल रही हैं।
- मौजूदा सीवेज उपचार बुनियादी ढाँचे में सुधार के प्रयास किये जा रहे हैं।
- **स्थायी जल प्रबंधन** प्रथाओं के अनुरूप, पूरे राज्य में सूक्ष्म सचिाई उद्देश्यों के ये उपचारति सीवेज जल का पुनः उपयोग करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की गई है।
- पानीपत में 'सूक्ष्म सचिाई के माध्यम से सचिाई प्रयोजन के लिये उपचारति अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग' पर परियोजना के चरण - I का कार्यान्वयन।
- चरण - II पहल का उद्देश्य सचिाई प्रथाओं तथा पर्यावरणीय स्थरिता को और बढ़ाना है।